न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/72/2025	2024/319	12.08.2025	22.12.2025

1. सुमित्रा देवी पत्नि स्व० श्री त्रिलोक चन्द मेहन्दीरता आयु करीब 78 साल निवासी प्लाट नंबर 171, स्कीम नंबर 3, अलवर

प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश कुमार पुत्र स्व० श्री त्रिलोक चन्द मेन्हदीरता निवासी 214, स्कीम नंबर 10–ए, अलवर राज० हाल दुकानदार, जगदीश टेलर, दुकान नंबर 01 तिलक गार्केट, अलवर राज०

2. नरेश कुमार पुत्र स्व० श्री त्रिलोक चन्द मेहन्दीरता निवासी प्लाट नंबर 171, स्कीम नंबर 3, अलवर हाल दुकानदार नरेश टेलर्स, 15, तिलक गार्केट, अलवर राज०

– अप्रार्थीगण

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

पुर्नविचार याचिका न्यायालय निर्णय दिनांक 22.07.2025 प्रकरण संख्या 12/188/2022 अंतर्गत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण अधिनियम 2007

उपस्थितः–
01. अपीलाण्ट्स स्वयं
02. श्री जगदीश सैनी
03. श्री मनोज जैन

–वकील रेस्पोडेन्ट्स सं. 1
–वकील रेस्पोडेन्ट्स सं. 2

–:: निर्णय ::–

अपीलाण्ट्स द्वारा अपील विरूद्ध न्यायालय निर्णय दिनांक 22.07.2025 प्रकरण संख्या 12/188/2022 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी कर तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया। उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट्स ने अपील प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट अप्रार्थी की ओर से एक अपील माननीन न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठनागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर के राष्ट्रीय लोक अदालत मे लोक अदालत की भावना से किये गये निर्णय दिनांक 13.08. 2022 के विरूद्ध पेश की गई थी। अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष यह जाहिर किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन याचिका संख्या 3/43/2022 रैस्पोडेण्टस ने आपस मे मिल्लत करके अपीलाण्ट को बगैर पक्षकार बनाये पेश की और जिसे दिनांक 13.08.2022 को आपस मे राजीनागा से निर्णय दिनांक 13.08.2022 को पारित करा लिया। जिसकी जानकारी अपीलाण्ट अप्रार्थी संख्या 01 को दिनांक 14.10.2022 को अधिनस्थ न्यायालय से थाना कोतवाली अलवर के नाम जारी किया गया और पत्र की पालना मे रिये पुलिस अपीलाण्ट को विवादित दुकान से दिनांक 22.11.2022 को बेदखल कर दिया जिससे अपीलाण्ट को समस्त कार्यवाही की जानकारी हुई जिस अपील का निस्तारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के कथनो पर विश्वास करते हुए किया गया है जो निम्न तथ्यो एवम आपत्तियो के आधार पर पुर्नविचार किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट द्वारा सर्वप्रथम अपील हाजा में यह तथ्य जाहिर किया गया पत्र की पालना में अपीलाण्ट को विवादित दुकान से दिनांक 22.11.2022 को बेदखल किया गया है जबकि अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई पत्र जो थाना कोतवाली अलवर द्वारा अपीलाण्ट के नाम पर जारी किया हो पत्रावली पर पेश नहीं किया ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पुलिस थाना कोतवाली द्वारा अपीलाण्ट के नाम पर जारी किया गया है जिन तथ्यो को तोड मरोड कर अपील मे दर्ज कर न्यायालय को गुमराह किया

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

गया है, जिस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया और विचार होने से रह गया है। तथा बिना विचार, मनन के उक्त आदेश पारित किया गया है।

अहम तथ्य इस प्रकार है कि रैस्पोडेण्ट संख्या 01 श्रीमति सुमित्रा देवी जो कि 78 वर्ष कि वयोवृद्ध महिला है जिनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका मे न तो रैस्पोडेण्ट संख्या 02 को बेदखल करने के लिए अनुतोष चाहा गया और ना ही अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा कोई तथाकथित पत्र अपीलाण्ट के नाम से या अपीलाण्ट को बेदखल करने का जारी किया गया चूंकि अपीलाण्ट का विवादित दुकान से कोई सम्बन्ध सरोकार किसी प्रकार से विगत वर्षो से नहीं है और रैस्पोडेण्ट संख्या 01 ही उक्त दुकान का अपने पिता के जीवनकाल से उपयोग उपभोग करता आ रहा है, और उक्त दुकान के सम्बन्ध मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के समक्ष विचाराधीन विभिन्न प्रकरणो मे भी अपीलाण्ट को कहीं पक्षकार या मालिक नहीं माना गया है जिन तथ्यो को छिपाते हुए मौजूदा अपील पेश की गई जिस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया और उक्त आदेश पारित किया गया है। रैस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा याचिका केवल मात्र रैस्पोडेण्ट संख्या 02 के विरूद्ध दायर की जिसमे बाद तामिल रैस्पोडेण्ट संख्या 02 बतौर अप्रार्थी उपस्थित अदालत हुआ और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समझाईश की गई जिसमे बाद समझाईश रैस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 का आपसी समझाईश से राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.08.2022 मे प्रकरण का निस्तारण किया गया है जो राष्ट्रीय लोक अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत गणराज्य के निर्देशो पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत समस्त भारत मे लम्बित प्रकरणो को निस्तारण हेतु समय समय पर लगाई जाती है के प्रावधानो के तहत किया गया है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत गणराज्य द्वारा जारी दिशा निर्देशो पर लगाई जाने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत मे होना वाला निस्तारण/निर्णय अन्तिम होता है जिसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की अपील नहीं की जा सकती है जिसके सम्बन्ध मे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 21 मे यह स्पष्ट रुप से स्थापित है (विशेष रुप से धारा 21 (2) मे कहा गया है कि) लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय अतिंम होगा और निर्णय के खिलाफ किसी भी अदालत मे कोई अपील नहीं की जा सकेगी। जिस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया और उक्त आदेश पारित किया गया है जो पुर्नविचार किये जाने योग्य है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत गणराज्य द्वारा इस सम्बन्ध मे विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त प्रतिपादित किये गये है कि लोक अदालत का निर्णय अन्तिम है जिसके विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है जिस कानूनी बिन्दू पर कतई गौर नहीं किया गया और उक्त आदेश पारित किया गया है जो पुर्नविचार किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय एक अधिकरण है जो केवल मात्र भरण पोषण के सम्बन्ध मे प्रकरण का निस्तारण कर सकता है और किसी भी प्रकार से बेदखली के सम्बन्ध मे कोई निर्णय पारित नहीं कर सकता जिसके सम्बन्ध विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत गणराज्य द्वारा इस सम्बन्ध मे प्रतिपादित किये हुए है और जिसका अनुसरण करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई बेदखली आदेश किसी प्रकार का प्रदान ही नहीं किया तो अपीलाण्ट को बेदखल करने. सबंधी आदेश कहाँ से ओर कब किस आधार पर जारी हुआ ऐसा कोई दस्तावेज अपील हाजा की पत्रावली पर मौजूद नहीं है केवल मात्र अपीलाण्ट के मौखिक कथनो पर और पत्रावली के बाहर के तथ्यो के आधार पर न्यायालय द्वारा विश्वास करते हुए निर्णय पारित किया गया है जिस कानूनी बिन्दू पर कतई गौर नहीं किया गया और उक्त आदेश पारित किया गया है जो विधिक त्रुटि के कारण पुर्नविचार किये जाने योग्य है। यह तथ्य अहम है कि अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा झूठे तथ्यो के आधार पर अपील प्रस्तुत कर उक्त निर्णय पारित कराया गया है जो न्यायालय को तथ्यो से गुमराह कर पारित कराया गया है जो पुर्नविचार किये जाने योग्य है।

अतः रैस्पोडेण्ट प्रार्थी की ओर से पुर्नविचार याचिका मय आपत्ति के पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट की ओर से पेश अपील पर पारित निर्णय दिनांक 22.07.2025 को अपास्त किया जाकर अपीलाण्ट अप्रार्थी जगदीश कुमार की अपील को पुनः सुनवाई हेतु नियत किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

रैस्पो0 सं0 1 ने लिखित जवाव अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मिन अपीलान्ट ने सही प्रकार से अदालत श्रीमान में अपील बउनुवान जगदीश कुमार अपीलान्ट बनाम सुमित्रा देवी, नरेश कुमार रैस्पाडेन्टान पेश की थी जो अदालत श्रीमान ने तारीख 22-07-2025 को मिन अपीलान्ट की अपील स्वीकार की गई है। रैस्पाडेन्टान सुमित्रा देवी व नरेश कुमार ने आपस में साजबाज होकर तहत अदालत में जो प्रार्थना पत्र सुमित्रा देवी ने नरेश कुमार के खिलाफ पेश की थी सुमित्रा देवी व नरेश कुमार ने आपस में मिल्लत मिलाकर बरूवे राजीनामा सुमित्रा देवी का प्रार्थना पत्र तहत अदालत में तारीख 13-08-2022 को स्वीकार की जिस उक्त प्रार्थना पत्र में मिन अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया, व सुमित्रा देवी व नरेश कुमार आपस में साजबाज हो गये व

जिला कलक्टर अलवर (राज0)

तहत अदालत ने लोक अदालत की भावना से आदेश किया। मिन अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी होने पर मिन अपीलान्ट ने अदालत श्रीमान में मुफरिल वजूहात के साथ अपील पेश की जो अपील अदालत श्रीमान में तारीख 22–07–2025 को स्वीकार की गई व गुकागी पुलिस कोतवाली अलवर द्वारा तारीख 22–11–2022 को मिन अपीलान्ट को विवादित जायदाद से बेदखल किया, अदालत श्रीमान ने मिन अपीलान्ट की अपील तारीख 22–07–2025 को स्वीकार की। जिससे गुकागी पुलिस कोतवाली अलवर द्वारा मिन अपीलान्ट को तारीख 22–11–2022 को बेदखली की कार्यवाही स्वतः ही समाप्त हो जाती है।

रैस्पाडेन्ट सुमित्रा देवी सायला बनाम नरेश कुमार जो आपस में माता–पुत्र है व सुमित्रा देवी ने मिन अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बगैर तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 माता पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम के तहत गलत तरीक पर पेश किया और आपस में सुमित्रा देवी व नरेश कुमार ने राजीनामा कर लिया व तहत अदालत ने लोक अदालत की भावना को मददेनजर रखते हुए श्रीमती सुमित्रा देवी का प्रार्थना पत्र दिनांक 13–08–2022 को स्वीकार किया उक्त प्रार्थना पत्र में मिन अपीलान्ट पक्षकार नही था अधिनरथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आदेश से सुमित्रा देवी एव नरेश कुमार दोनो पक्षकारान पाबन्द हैं अपीलान्ट/अप्रार्थी जगदीश, उक्त आदेश के विरूद्ध अपील करने के लिए स्वतंत्र है लोक अदालत की भावना से अधिनरथ न्यायालय द्वारा जो भी आदेश हुआ उस आदेश से दोनो पक्षकारान सुमित्रा देवी व नरेश कुमार पाबन्द हैं ना कि मिन अपीलान्ट जगदीश व अदालत श्रीमान ने गलत तरीक पर सुमित्रा देवी ने मौजूदा प्रार्थना पत्र पुर्नविचार गलत तरीक पर पेश किया है, विधि का यह सिद्वान्त हैं कि कोई भी न्यायालय जब वह किसी मामले के निपटारे के लिए अपने निर्णय या अन्तिम आदेश पर हस्ताक्षर कर देता है तो लिपिकीय या अंक गणितीय त्रुटि को ठीक करने के सिवाय/अलावा उसमें कोई भी परिवर्तन या पुर्नः विलोकन नही करेगा, ऐसे विभिन्न न्यायिक दृष्टांत उच्चतम न्यायालय एंव उच्च न्यायालय के पारित किये हुए है। अदालत श्रीमान ने गलत तरीक पर सुमित्रा देवी ने मौजूदा प्रार्थना पत्र पुर्नविचार गलत तरीक पर पेश किया है। कोई भी न्यायालय जब वह किसी मामले के निपटारे के लिए अपने निर्णय या अन्तिम आदेश पर हस्ताक्षर कर देता है तो लिपिकीय या अंक गणितीय त्रुटि को ठीक करने के सिवाय/अलावा उसमें कोई भी परिवर्तन या पुर्नः विलोकन नही करेगा। श्रीमती सुमित्रा देवी ने थाना शहर कोतवाली अलवर से मिलकर गलत तरीक पर आदेश कराये हैं व रैस्पाडेन्ट सुमित्रा देवी ने गलत तरीक पर अदालत श्रीमान में प्रार्थना पत्र पुर्नविचार याचिका पेश की है। कोई भी न्यायालय जब वह किसी मामले के निपटारे के लिए अपने निर्णय या अन्तिम आदेश पर हस्ताक्षर कर देता है तो लिपिकीय या अंक गणितीय त्रुटि को ठीक करने के सिवाय/अलावा उसमें कोई भी परिवर्तन या पुर्नः विलोकन नहीं करेगा।

अपीलान्ट ने सही तथ्यो के आधार पर अदालत श्रीमान में अपील पेश की थी जिसका निर्णय अदालत श्रीमान द्वारा दिनांक 22–07–2025 को किया गया है व मिन अपीलान्ट की अपील स्वीकार की गई है। मिन अपीलान्ट ने अदालत श्रीमान को कोई तथ्य से गुमराह नही किया। रैस्पाडेन्ट सुमित्रा देवी ने गलत तरीक पर अदालत श्रीमान में प्रार्थना पत्र पुर्नविचार याचिका पेश की है। कोई भी न्यायालय जब वह किसी मामले के निपटारे के लिए अपने निर्णय या अन्तिम आदेश पर हस्ताक्षर कर देता है तो लिपिकीय या अंक गणितीय त्रुटि को ठीक करने के सिवाय/अलावा उसमें कोई भी परिवर्तन या पुर्नः विलोकन नही करेगा।

सुमित्रा देवी का प्रार्थना पत्र दिनांक 04–08–2025 को गलत तरीक पर पेश किया है व अदालत श्रीमान ने व आदेश 22–07–2025 को किया हैं वो सही तरीक पर पत्रावली का अवलोकन करके किया हैं जिसे अपास्त किये जाने का सवाल ही पैदा नही होता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि रैरपाडेन्ट सुमित्रा देवी का प्रार्थना पत्र पुर्नयाचिका मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। हलफनामा पेश है।

रैस्पो0 सं0 2 ने लिखित जवाब अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि यह कहना सही है कि अपीलाण्ट को विवादित दुकान से दिनांक 22.11.2022 को बेदखल नहीं किया गया है और अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई पत्र जो थाना कोतवाली अलवर द्वारा अपीलाण्ट के नाम पर जारी किया हो पत्रावली पर पेश नहीं किया ना ही ऐसा कोई दरतावेज पुलिस थाना कोतवाली द्वारा अपीलाण्ट के नाम पर जारी किया गया है केवल गात्र तथ्य दर्ज करते हुए न्यायालय को गुगराह किया गया है, जिस तथ्य पर बिना विचार, मनन के उक्त आदेश पारित किया गया है। रैस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा अधिनरथ न्यायालय के समक्ष पेश याचिका मे रैस्पोडेण्ट संख्या 02 को बेदखल करने के लिए अनुतोष चाहा गया चूकिं अपीलाण्ट का विवादित दुकान से कोई सम्बन्ध सरोकार किसी प्रकार से विगत अरसा दराज से नहीं है और मिन अप्रार्थी रैस्पोडेण्ट संख्या 01 ही उक्त दुकान का अपने पिता के जीवनकाल से उपयोग उपभोग करता आ रहा है, और उक्त दुकान के सम्बन्ध मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के समक्ष विचाराधीन विभिन्न प्रकरणो मे भी

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

अपीलाण्ट को कहीं पक्षकार या गालिक नहीं गाना गया है जिन तथ्यो को छिपाते हुए गौजूदा अपील पेश की गई जिस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया और उक्त आदेश पारित किया गया है। रैस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा याचिका केवल गात्र गिन रैस्पोडेण्ट संख्या 02 के विरूद्ध दायर की जिसमे बाद तामिल रैस्पोडेण्ट संख्या 02 बतौर अप्रार्थी उपस्थित अदालत हुआ और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समझाईश की गई जिसगे बाद सगझाईश रैस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 का आपसी सगझाईश से राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.08.2022 गें प्रकरण का निस्तारण किया गया है जो राष्ट्रीय लोक अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत गणराज्य के निर्देशो पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत सगस्त भारत गे लम्बित प्रकरणो को निस्तारण हेतु सगय सगय पर लगाई जाती है के प्रावधानो के तहत किया गया है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत गणराज्य द्वारा जारी दिशा निर्देशो पर लगाई जाने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत गे होना वाला निस्तारण/निर्णय अन्तिम होता है जिसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की अपील नहीं की जा राकती है जिसके सम्बन्ध मे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 21 गे यह स्पष्ट रुप से स्थापित है (विशेष रुप से धारा 21 (2) मे कहा गया है कि) लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय अतिंम होगा और निर्णय के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जा राकेगी। जिस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय एक अधिकरण है जो केवल गात्र भरण पोषण के सम्बन्ध मे प्रकरण का निस्तारण कर सकता है और किसी भी प्रकार से बेदखली के सम्बन्ध मे कोई निर्णय पारित नहीं कर सकता। अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा झूठे तथ्यो के आधार पर अपील प्रस्तुत कर उक्त निर्णय पारित कराया गया है। अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील एवम उस पर पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत यह पुर्नविचार याचिका सही तथ्यो के आधार पर पेश की गई है चूकिं लोक अदालत के निर्णय के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अपील कानूनन पोषणीय नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका प्रार्थीया/रैस्पोडेण्ट संख्या 01 सुमित्रा देवी द्वारा मिन अप्रार्थी रैस्पोडेण्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की गई और मिन अप्रार्थी के विरूद्ध ही अनुतोष चाहा गया था, जिस दुकान से अपीलाण्ट का कोई लेना देना सबंध सरोकार नही है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाये जाने की कृपा करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन मनन किया एवं न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय का भी अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय संपूर्ण गुणावगुण के आधार पर गहनता से अवलोकन करने के पश्चात् माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पारित किया है, जिसमें हमें कोई विसंगति प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पुनर्विचार याचिका पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पुनर्विचार याचिका खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अलवर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)